

107

संख्या-⁵⁵⁰ 2015/242/69-1-14-15 (म0ब0-83)/2014

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

Budget- 83
I-18/15

4/16

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 27 जून 2015

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3958/56/10/छ:/विविध/तक0/2012-13, दिनांक 14 जनवरी, 2015 व संख्या-3904/36/10/छ:/विविध/म0ब0-अ0सं0/हरदोई-2013-14, दिनांक 13 जनवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में जनपद-मेरठ की न0निगम मेरठ की 04 परियोजनाओं व जनपद-हरदोई की न0पा0प0, हरदोई की 06 परियोजनाओं अर्थात् उक्त दोनों जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 10 परियोजनाओं हेतु कुल ₹0 340.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित ₹0 170.47 लाख (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख सैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री श्री श्री श्री महोदय

क्रमशः.....2

17/7/15


17/7/15

16/15

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्वाविरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयुग्मिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई है तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

16. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।


संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-530/2015/242(1)/69-1-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ/हरदोई।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।


शासनादेश संख्या-550/2015/242/69-1-14-83(म0ब0-83)/2014. दिनांक 27 जून, 2015 का सलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	मेरठ	न0निगम, मेरठ	वार्ड नं0-09 फाजलपुर में विनोद की दुकान से रायल इण्डस्ट्रीज तक, संजय के घर से यादव की गैस एजेंसी तक, सनी मेडिकल स्टोर से राजकुमार के घर तक, उदयवीर यादव के घर सतबीर के घर तक, राजेश कुमार के घर से आदर्श इण्टरकालेज तक एवं सत्यवती के घर से आमेवीर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	31.01	15.505
2.	मेरठ	न0निगम, मेरठ	वार्ड नं0-09 फाजलपुर में राजबाला के मकान से चन्द्रभूषण के घर तक, आदर्श इण्टरकालेज से दुर्गा प्रसाद के घर तक, अनिल कुमार के मकान से राजकुमार के मकान तक, राजकुमार के मकान से मामचन्द्र के मकान तक, राजकुमार के मकान से शकीला बानों के मकान तक, शकीला बानों के मकान से दुर्गा प्रसाद के मकान तक, सलीम के मकान से धर्मवीर के मकान तक, नेशनल वैंलिंग के दुकान से ढाका के मकान तक एवं त्रिजेन्द्र के मकान से अनूप सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	35.02	17.51
3.	मेरठ	न0निगम, मेरठ	वार्ड नं0-09 फाजलपुर में देवेन्द्र के मकान से विनोद के मकान तक, बुद्ध प्रकाश के मकान से मलिक इलेक्ट्रिकल की दुकान तक, पाल डेरी की दुकान से पाल स्वीट्स व मेन रोहटा रोड तक, किरन पाल के मकान से भगवान शर्मा के मकान तक, चन्द्रपाल के मकान से मेन रोहटा रोड तक, राणा जी के मकान ऋषभ डेरी तक, महकार सिंह के घर से दुर्गा साड़ी सेंटर तक, महेन्द्र सिंह के मकान से बाबू गिरी के मकान तक एवं सूबेदार के मकान से राहुल की दुकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	136.13	68.065
4.	मेरठ	न0निगम, मेरठ	वार्ड नं0-09 फाजलपुर में बिरी सिंह के मकान से सविता देवी के मकान तक, वकील के मकान से राहुल की दुकान तक, संजीव के मकान वाली बन्द गली में, सुनील दत्त के मकान से सुबेदार के मकान तक एवं सुबेदार के मकान से ईश्वर पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	118.08	59.04

5.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 मो0 लालतापुरवा में रामभजन के मकान से कौशल कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.38	3.69
6.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 मो0 लालतापुरवा में बलभद्र वर्मा के मकान से हरदेव राजा के पूजनोद्य स्थान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.67	1.335
7.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 मो0 लालतापुरवा में रामसनेही वर्मा के मकान से स्व0 मुन्ना तथा मुन्ना लाल वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.20	1.10
8.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 मो0 ज्योतिनगर में पेनीपुरवा में खुशीराम के मकान से शारदा कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.38	1.44
9.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 मो0 ज्योतिनगर में पेनीपुरवा में रामनाथ वर्मा के मकान से गुड्डू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.00	1.150
10.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 मो0 महीलिया शिवपार में श्रीपाल के मकान से नारायण के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.57	1.285
योग				340.94	170.47

(रुपये एक करोड़ सत्तर लाख सैंतालिस हजार मात्र)।


(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।#